

I/490493/2024

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 08 फरवरी, 2024

विषय: पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों में पुस्तकों को रैप न किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-128/पी0एस0एम0एस0/2024, दिनांक 24.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों में पुस्तकों को रैप न किए जाने के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 24.01.2024 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भारतीय
Digitally Signed by कल्याण
बनर्जी
Date: 08-02-2024 15:02:37
Reason: Approved
संयुक्त सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या : 128 / पी.एस.एम.एस. / 2024

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

SL-1

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2024

विषय: पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों में पुस्तकों को रैप न किए जाने के सम्बन्ध में।

महादय,

राज्य/मण्डल/जिला स्तर पर समय-समय पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों का आयोजित किया जाता है। इन पुस्तकों का अनावरण मुख्य अतिथि/गणमान्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

2. प्रायः यह देखने में आया है कि इन पुस्तक-विमोचन कार्यक्रमों में पुस्तकों को कागज/प्लास्टिक के गिफ्ट पेपर से रैप किया जाता है तथा उन्हें अनावरित (unveil) करते समय मुख्य अतिथि तथा अन्य मंचासीन महानुभावों को काफी जूझना पड़ता है, साथ ही कागज/प्लास्टिक का रैप पेपर टेबुल पर कूड़े जैसा गंदा दिखता है। यह व्यवस्था स्वच्छता मिशन के सिद्धान्त Reduce, Reuse, Recycle के विपरीत है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी यह अनुकूल नहीं है। कागज बनाने के लिए पेड़ कटते हैं।

3. अस्तु अनुरोध है कि भविष्य में मुख्य अतिथि द्वारा विमोचित की जाने वाली पुस्तक को मात्र रंगीन फीते द्वारा रैप किया जाए। अन्य अतिथियों को वितरित की जाने वाली पुस्तकों को किसी प्रकार से रैप न किया जाये। यह प्रैक्टिस स्वच्छता मिशन एवं पर्यावरण के अनुकूल होगी।

9.01.2024

(अजय कुमार शुक्ल)
सचिव
ग्राम विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

उपर्युक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

श्री अरुण

29/01/24